

बिहार लोक सेवा आयोग, पटना

आवश्यक सूचना

68वीं संयुक्त मुख्य (लिखित) प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण निदेश

1. निर्धारित परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के दो घंटा पूर्व पहुँच जायें। परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पहले तक परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी।
2. प्रवेश पत्र (अभ्यर्थी प्रति) पर अंकित "महत्वपूर्ण निर्देश" एवं प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका के आवरण पृष्ठ पर अंकित "आवश्यक अनुदेश" का पूर्णतः पालन करें।
3. परीक्षा कक्ष में प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका प्राप्त होते ही यह आश्वस्त हो लें कि प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका में सभी पृष्ठ क्रमवार हैं तथा सभी प्रश्न अंकित हैं, उसके बाद ही उस प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका पर लिखना प्रारम्भ करें।
4. प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका के मात्र आवरण पृष्ठ पर परीक्षा के नाम, विषय का नाम, परीक्षा की तिथि एवं अपना अनुक्रमांक (अंकों एवं शब्दों में) निर्धारित स्थान पर लिखें।
5. विषयनिष्ठ परीक्षाओं को लिखने का माध्यम (हिन्दी/अंग्रेजी/उर्दू में से एक) का चयन अभ्यर्थियों को उत्तर पुस्तिका में दर्ज (Encircle) करना है।
6. प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका (Question-Cum-Answer Booklet) में निर्धारित स्थान पर ही प्रश्नों का उत्तर लिखें। निर्धारित स्थान के ईत्तर प्रश्नों का उत्तर लिखने पर लिखे गये उत्तर का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
7. आवरण पृष्ठ पर विवरणी अंकित करने सहित सम्पूर्ण उत्तर पुस्तिका में प्रश्नोत्तर एक ही स्याही, नीली अथवा काली रंग की स्याही से लिखें। उत्तर पुस्तिका में कहीं काले रंग के स्याही का प्रयोग तो कहीं नीली रंग के स्याही का प्रयोग वर्जित है। स्याही बदलने पर वीक्षक का हस्ताक्षर/अभिप्रमाणन अवश्य करा लें। उत्तर पुस्तिका में इसके अतिरिक्त किसी भी अन्य रंग की स्याही का प्रयोग वर्जित है।
8. प्रश्नोत्तरों के मुख्य बिन्दुओं के रेखांकन में भी अन्य रंग की स्याही, हाईलाईटर, जेल पेन, स्केच पेन, ग्लिटर पेन, पेंसिल इत्यादि का प्रयोग वर्जित है।
9. कदाचार में लिप्त पाये जाने/परीक्षा कक्ष में Electronic सामग्री (साधारण कैलक्यूलेटर को छोड़कर) के साथ पाये जाने पर परीक्षार्थी को इस परीक्षा सहित आगामी पाँच वर्षों के लिए एवं परीक्षा से संबंधित भ्रामक/सनसनीखेज अफवाह फैलाने की स्थिति में तीन वर्षों के लिए बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं से वंचित किया जायेगा।
10. प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका के आवरण पृष्ठ पर निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी का नाम, पता, अनुक्रमांक, मोबाईल संख्या, अवांछित अंकों/शब्दों, धार्मिक चिह्न/शब्द, श्लोगन, विशेष पहचान चिह्न, प्रश्न संख्या को विशेष प्रकार का चिह्न/आकृति, संबोधन इत्यादि लिखना तथा उत्तर पुस्तिका में करेंसी नोट रखने पर आपकी उत्तर पुस्तिका एवं उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।



परीक्षा नियंत्रक,

बिहार लोक सेवा आयोग, पटना